मु० नं० 143/17 मोहनसिंह बनाम नानगाराम वगै०

05/1/26

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी मय प्रा0पत्र दफा 5 अधिनियम एवं प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का जबाव देने के बजाए सीधे उक्त प्रा0पत्रों के संबंध में बहस किये जाने का निवेदन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी इस प्रकार से पेश किया है कि अपीलान्ट नं01 मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री रामकरण कोठारी निवासी कुस्तला की दिनांक 10.05.2021 को मृत्यु हो चुकी है। मोहन सिंह अपीलान्ट स्वयं अपने केस की पैरवी के लिए स्वयं आता था और अपीलान्ट की मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट के भाई व किसी भी सदस्य को उक्त अपील चलने की जानकारी नहीं थी। दिनांक 8.09.2025 को जब अपीलान्ट नं05 कलेक्टरी आया हुआ था तब जाकर उक्त अपील की जानकारी हुई है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में देरी को क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि माना जावे। इस प्रा0पत्र के साथ मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रा0पत्र भी पेश किया गया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा एक अन्य प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 इस प्रकार पेश किया है कि रेस्पोडेन्ट नं03 रामसिंह पुत्र पांचू निवासी कुस्तला की मृत्यु दिनांक 18.12.2021 को कोरोना हो चुकी है। प्रार्थीगण के इस दरम्यान ही अपीलान्ट के घर में मौत होने से प्रार्थी अपीलान्टस को शोकसंतप होने से समय पर सूचना नहीं दे सके अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है इसलिए प्रार्थीगण के दिमाग में यह था कि उक्त रेस्पोडेन्ट की सूचना भी न्यायालय में सहवन से प्रस्तुत कर दी होगी किन्तु पत्रावली का अधोयान्त अध्ययन करने पर पता चला कि रेस्पोडेन्ट नं03 के वारिसान के नाम न्यायालय में कायम मुकाम बनाये जाने प्रस्तुत नहीं हुये है। अपीलान्ट मोहनसिंह स्वयं की अपने केस की पैरवी के लिए स्वयं आता था और अपीलान्ट की मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट के भाई व किसी भी सदस्य को उक्त अपील चलने की जानकारी नहीं थी तथा ना ही अपीलान्ट के वकील ने हमे कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 8.09.2025 को जब अपीलान्ट नं05 कलेक्टरी आया हुआ था तब जाकर उक्त अपील की जानकारी हुई है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में देरी को क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि माना जावे। इस प्रा0पत्र के साथ मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रा0पत्र भी पेश किया गया है।

वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत उक्त प्रा0पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलान्ट सं0 1 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 3 की मृत्यु कोरोनाकाल में हुई थी तथा अपीलान्ट सं0 1 ही स्वयं अपने केस की पैरवी के लिए स्वयं आता था और अपीलान्ट की मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट के भाई व किसी भी सदस्य को उक्त अपील चलने की जानकारी नहीं थी तथा ना ही अपीलान्ट के पूर्व वकील ने कोई जानकारी दी दिनांक 08.09.25 को जब अपीलान्ट सं0 5 कलेक्टरी आया तब उक्त अपील की जानकारी हुई। जानकारी से उक्त प्रा0पत्र अन्दर अवधि है।

अन्त में वकील अपीलान्ट ने उक्त दोनो प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट सं01 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 3 के का0मु0 को रिकार्ड पर लेने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलान्ट संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 10.05.2021 को तथा रेस्पोडेन्ट सं0 3 की मृत्यु दिनांक 18.12.2021 को हुई है जिनके कायम मुकाम हेतु प्रा0पत्र अपीलान्ट सं0 1 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 3 की [illegible] अन्दर मियाद 90 दिवस में ही प्रस्तुत किया जाना था और यदि अपीलान्ट [illegible] कारणवश उक्त समयावधि में का0मु0 हेतु प्रा0पत्र पेश नहीं [illegible] जिस दिनांक को का0मु0 हेतु प्रा0पत्र पेश कर रहा है तब [illegible] पेश करना पड़ता है किन्तु अपीलान्ट सं05 द्वारा का0मु0 [illegible] बाद पेश किया है उक्त समयावधि लगने का कारण भी मानने योग्य नहीं [illegible] अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के उक्त दोनो प्रा0पत्र मय मूल अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अपीलार्थी सं0 1 की दिनांक 10.05.2021 को एवं रेस्पोडेन्ट सं03 की दिनांक 18.12.2021 को मृत्यु हो जाने पर अपीलान्ट सं0 5 द्वारा जरिये वकील दिनांक 10.09.2025 को दो प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 तथा आदेश 22 नियम 4 पेश कर मृतक अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:29 IST
Reason: SelfAttested

सं0 1 व मृतक रेस्पोडेन्ट सं03 के वारिसान को का0मु0 के रूप में रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा आदेश 22 नियम 3 के प्रा0पत्र में जो कथन अंकित किया है कि दिनांक 08.09.25 को जब मैं कलेक्टरी आया हुआ था तब जाकर उक्त अपील की जानकारी हुई जबकि स्वयं अपीलान्ट अपील में अपीलान्ट सं05 के रूप में पूर्व से ही पक्षकार है इस कारण उसका यह कथन अपने आप में ही गलत हो जाता है कि उसे दिनांक 08.09.25 को अपील की जानकारी हुई हो। मृतक अपीलान्ट सं01 मोहन सिंह अपीलान्ट सं0 5 का सगा भाई है जिससे इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उसे मोहनसिंह की मृत्यु की जानकारी नहीं रही हो तथा उसे अपील की भी कोई जानकारी नहीं रही हो। ऐसी परिस्थिति में प्रा0पत्र में किये गये तथ्य स्वयं अपने आप में गलत साबित होते है इस कारण से प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के साथ प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मियाद बाहर प्रस्तुत करने के कारण प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं उसके साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

इसी प्रकार प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 में मृतक रामसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में जो देरी का कारण लिखा गया है वह भी उचित नहीं है क्योंकि प्रार्थी भोजराज सिंह अपील में स्वयं ही पक्षकार है तथा उसे अपील की जानकारी है इस कारण से उसका यह कहना कि दिनांक 08.09.25 को जब मैं कलेक्टरी आया हुआ था तब जाकर उक्त अपील की जानकारी हुई जबकि स्वयं अपीलान्ट अपील में अपीलान्ट सं05 के रूप में पूर्व से ही पक्षकार है इस कारण उसका यह कथन अपने आप में ही गलत हो जाता है कि उसे दिनांक 08.09.25 को अपील की जानकारी हुई हो। रेस्पोडेन्ट सं0 3 मृतक रामसिंह भी ग्राम कुश्तला का ही रहने वाला है तथा अपीलान्टान भी ग्राम कुश्तला के ही रहने वाले है तथा एक ही परिवार के है। इस कारण इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलान्टान को इस तथ्य की जानकारी नहीं हो कि रेस्पो0 सं0 3 रामसिंह की मृत्यु दिनांक 18.12.21 को हो गई हो तथा कोरोनाकाल भी कई वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में प्रा0पत्र में किये गये तथ्य स्वयं अपने आप में गलत साबित होते है इस कारण से प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के साथ प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मियाद बाहर प्रस्तुत करने के कारण प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 4 एवं उसके साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

उक्त अपील में मृतक अपीलान्ट के तथा अन्य अपीलान्टान के एवं मृतक रेस्पो0 के एवं अन्य रेस्पोडेन्टस के हित अलग-अलग नहीं हैं ऐसी परिस्थिति में उक्त अपील आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रा0 पत्र खारिज हो जाने के कारण सम्पूर्ण रूप से अबेट हो चुकी है।

अतः अपील अबेट हो जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay S
Date: 2026.03.09 12:38:29
Reason: SelfAttested